न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी – रिया केजरीवाल, आ.ई.ए.एस

राजस्व अपील सं0– 25/2019

1.आईदानराम 2. केसाराम 3. नानूराम 4. उदाराम 5. गिरधारीराम 6. रामलाल 7. रामेश्वरलाल 8. पाना 9. रूखमा पत्नी स्व. किरताराम 10. फूली पत्नी स्व. कुनणाराम पुत्र स्व. किरताराम 11. श्रीकिसन 12.सरोज नाबालिग जरिये कुदरती वली माता फूलीदेवी जाति जाट निवासीगण ग्राम राणीसर तहसील व जिला बीकानेर

अपीलाण्ट......

–:बनाम:–

1. सरपंच ग्राम पंचायत शेरेरां, तहसील व जिला बीकानेर

....रेस्पोडेंट......

2. ओमप्रकाश 3. रामनिवास 4. सत्यनारायण पिसरान स्व. कुनणाराम पुत्र स्व. किताराम निवासीगण ग्राम राणीसर तह. व जिला बीकानेर

.... फोर्मल रेस्पोडेंट......

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति अभिभाशक:–

1. श्री बहादूरराम सुथार, अपीलाण्ट।
2. पेरोकारराज, राज्य की ओर से।

–:निर्णय:–

दिनांक–29/01/2020

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन संरपच ग्राम पंचायत नौरंगदेसर हाल शेरेरा द्वारा इंतकाल नम्बर नामान्तरण संख्या 50 दिनांक 23.03.04 मे दुरूस्ती करने हेतु निवेदन किया गया है।

संक्षेप में अपील प्रकरण के आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट सं. 1 ता 8 के पिता अपीलान्ट संख्या 9 के पति तथा अपीलान्ट संख्या 10 के ससुर तथा अपीलान्ट संख्या 11 व 12 तथा फोर्मल रेस्पोडेंन्ट संख्या 2 ता 4 के दादा स्व. किरताराम पुत्र अमराराम जाट की खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम राणीसर तहसील व जिला बीकानेर के ख.न.86 में 4.30 है.,ख.न..216 में 8.95 है., कुल किता 2 कुल तादादी 13.25 हैक्टर बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित थी व है। अपीलान्ट के पिता/पति/ससुर/दादा/किरताराम का देहान्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत नौरंगदेसर द्वारा उक्त कृषि भूमि में अपीलान्ट के पिता/पति/ससुर/दादा किरताराम की कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरण संख्या 50 भरकर स्वीकृत किया गया। जिसमें अपीलान्ट संख्या 2 केसाराम का नाम केशुराम गलत लिख दिया गया है तथा कुर्सीनामा नहीं बनाया गया, ना ही किरताराम के वारिसानों का प्रमाण पत्र लिया गया अथवा जांच की गयी। बोलते नामों के आधार पर नामान्तरण भरकर स्वीकृत कर दिया गया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को आज दिनाक तक नही थी। अपीलान्ट दिनांक 03.7.19 को पटवार हल्का के पास केसीसी बनाने हेतु रिकार्ड लेकर बैंक मे गये तो बैंक अधिकारियो ने अपीलान्ट संख्या 2 का नाम अन्य दस्तावेज में केसाराम अंकित होने व राजस्व रिकार्ड मे केशुराम

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

अंकित होने के कारण के.सी.सी. बनाने से इन्कार कर दिया। अपीलान्ट को इस दिनांक मे उक्त नामान्तरण संख्या 50 में गलत नाम दर्ज होने की जानकारी नही थी। अपीलान्ट अगले दिन जिला कलक्टर बीकानेर रिकार्ड रूम में नामान्तरण संख्या 50 की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया तो तैयार बाद दिनांक 11.7.19 को प्राप्त हुई नकल प्राप्त होने के बाद अपील बिना देरी किये माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 मौके पर उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हें फोर्मल पक्षकार बनाया गया है, उनके खिलाफ कोई रिलीफ नही चाही गयी है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि आदेश अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत नौरंगदेसर हाल शेरेरा तहसील व जिला बीकानेर नामान्तरण संख्या 50 दिनांक 23.03.04 को आंशिक रूप से संशोधन फरमाया जावे। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानूनी मियाद अधिनियम भी प्रस्तुत किया गया।

अपील Subject to limitation के आधार पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये समन तलब किया। दिनांक 5.9.19 को वकील अपीलान्ट द्वारा रजि. तलबी कराने हेतु निवेदन किया जो स्वीकार कर रजिस्टर्ड समन जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 की प्राप्ति रसीदे प्राप्त हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आने पर अनुपस्थित दर्ज कर एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है , बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए नामान्तकरण संख्या 50 दिनांक 23.03.04 में अपीलाण्ट का नाम केसाराम के स्थान पर केशुराम अंकित हो गया को दुरस्त करने का निवेदन करते हुए साक्ष्यस्वरूप पैनकार्ड,ओरियन्टल बैक ऑफ कॉमर्स पास बुक,आधार कार्ड,वोटर आईडीकार्ड,भामाशाह कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो प्रतिया प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। अपीलांट ने विलम्ब के माफ के लिए धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। वह न्यायसम्मत है व इसमें ऐसा कोई साक्ष्य या अन्य बिन्दू पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। जिससे यह सिद्व होता हो कि अपीलान्ट को इस निर्णय की किसी प्रकार से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित समय से पूर्व किसी प्रकार का ज्ञान था। अतः न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब को माफ किया जाता है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से सिद्व है कि प्रार्थी का नाम केसाराम के स्थान पर केशुराम त्रुटि से दर्ज हो गया।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्रामपंचायत के नामान्तकरण संख्या 50 दिनांक 23.03.04 में अपीलाण्ट केसाराम के नाम का आंशिक संशोधन किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार बीकानेर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24-1-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रिया केजरीवाल)
आईएएस
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Riya Kejriwal
Date: 2020.02.04 16:41:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: